मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008(म.प्र.)
CIN: U40109MP2002SG015120 फोन नं.0761–2660079
फैक्स नं. 0761–2669005/2660128, बेवसाइट: www.mpez.co.in

क्रमांक प्र.सं/पू.क्षे/मु.महा.प्र.(मा.सं.एवं प्र)/मा.सं/ला.प.(सं)16–17/9566 जबलपुर, दिनांकः 19.12.16

लाईन परिचारक (संविदा) 2016–17 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में लाइन परिचारक (संविदा) 2016–17 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची पश्चात शारीरिक दक्षता के आधार पर कंपनी में प्रभावशील संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें)नियम, 2016 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु म.प्र.राज्य के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. लाइन परिचारक (संविदा) की संभावित रिक्तियॉं (बैकलॉग सहित निम्नानुसार है):–

विवरण	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	कुल पद
संभावित पदों की संख्या	217	168	70	47	502
उपरोक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु क्षेतिज रुप से आरक्षित पद	44	33	14	09	100

टीप – पदों की संख्या में आवश्यक्तानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/ निरस्त भी किया जा सकता है।

3. **शैक्षणिक योग्यताः**

3.1 उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से आई.टी.आई (विद्युतकार/ लाईनमेन/ वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) होना अनिवार्य है। (आई.टी. आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे)।

अथवा

10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

3.2 महिला उम्मीदवार, जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

3.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है परन्तु आई.टी. आई. परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है अथवा ओव्हरहैड प्रमाणपत्र धारक नहीं हैं, को नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4. **मूल निवासी**

आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

5. **आयु सीमाः**

5.1 आवेदक की आयु दिनांक **30–06–2016** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। म.प्र. राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

5.2 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर का कुल कार्य (तीनों प्रकृति) 5 वर्ष से कम किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्यअनुभव (पूर्ण माह) की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। विद्युत वितरण कंपनियों में मीटरवाचक, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाहय स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर की कुल कार्य (तीनों प्रकृति) अवधि का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी। आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

5.3 अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **आरक्षणः**

6.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

6.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को म.प्र. का मूल निवासी होने के साथ संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3 म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी–2010 से संशोधित नियम 4(ख) के अनुसार सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित प्रकिया के अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं. 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, जबलपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

6.4 शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्ष 2016 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत (100 पद) आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंटवाईज' है। इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

6.5 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

7. <u>आवेदन शुल्कः</u>

अनारक्षित एवं पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क **रू.1000/** (रूपये एक हजार मात्र) निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रू. **800/** (रूपये आठ सौ मात्र) निर्धारित है। आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते हैं। कियोस्क पर छाया प्रति स्कैन किये जाने हेतु पोर्टल प्रभार के अतिरिक्त पृथक से कोई प्रभार देय नही है।

8. <u>पात्रता के संबंधः</u>

8.1 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र. राज्य की किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पदच्युत (Dismiss) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

8.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।

8.3 कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा, तथा प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन होने के बावजूद अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

8.4 बोनस अंक की पात्रता ठेके पर अनुबंधित मीटरवाचक अथवा 33/11 के.व्ही उपकेन्द्र पर ठेके पर अनुबंधित आपरेटर कार्यअनुभव धारक ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।

8.5 ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं होगी।

8.6 दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित नहीं पाया जावेगा वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नहीं होगी।

8.7 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है। तथापि उन्हें निर्धारित ट्रेड से आई.टी.आई परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समतुल्य ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

8.8 ऐसे उम्मीदवार जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, यदि शिक्षा एवं, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं, को कार्य पर उपस्थिति के पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9. <u>चिकित्सीय परीक्षणः</u>

संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को अनुबंध के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन का फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त होगा।

10. <u>चयन प्रक्रियाः</u>

10.1 संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अर्ह अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2016–17 की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हिंदी में आयोजित की जायेगी। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) कोर्स हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार होगा।

10.2 अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता, मूलनिवासी, जाति प्रमाण पत्र, अनुंबंधित मीटरवाचक अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र आपरेटर के कार्यानुभव संबंधी प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियॉ आवेदन के समय एम.पी. आनलाईन की बेववाईट पर अपलोड करना होगा।

10.3 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट–ऑफ मार्क 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन के उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।

10.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) का कार्य कम से कम 3 वर्ष किया है, को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों पर कार्यानुभव के सापेक्ष 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तो को पूर्ण करते हैं। वर्तमान में ठेके पर कार्यरत मीटरवाचकों अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर कार्यरत अभ्यर्थी के कार्यअनुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक–पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर दिनांक 30.6.2016 की स्थिति में (पूर्ण माह) की गणना की जावेगी।

10.5 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रतानुसार अर्जित बोनस अंक संयुक्त प्रावीण्य सूची के निर्धारण के लिए मान्य किया जावेगा।

10.6 प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता के आधार पर बोनस अंकों को जोड़कर तैयार की गई संयुक्त प्रावीण्य सूची एम.पी. आनलाईन की बेवसाईट पर जारी कर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।

10.7 एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों (न्यूनतम प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करने पर) एवं अनुभव के सापेक्ष बोनस अंकों को जोड़कर तैयार की जाने वाली संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रकिया की जावेगी।

11. <u>प्रावीण्य सूचीः</u>

आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी :–

11.1 अनारक्षित/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक–पृथक संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेंगी।

11.3 उम्मीदवारों को संयुक्त प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

11.4 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी एम. पी. आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.com पर अपना स्थान देख सकेंगे।

12. <u>प्रावीण्य सूची की वैधताः</u>

लाईन परिचारक (संविदा) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची घोषित होने की दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। जिससे विज्ञापित पदों की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की जावेगी।

13. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा:</u>

13.1 संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण जो निम्नानुसार हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही लाईन परिचारक (संविदा) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया जावेगा।

13.1.1 निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 25 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना

13.1.2 टूल–किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना।

13.2 उपरोक्त दोनों उपखण्ड (13.1.1) एवं (13.1.2) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

13.3 एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं लिया जाना ली जावेगी।

13.4 शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंक आवंटित नहीं किये जावेंगे, यद्यपि शारीरिक दक्षता परीक्षण की निर्धारित प्रकिया अभ्यर्थी द्वारा समयसीमा में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

13.5 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. <u>आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जानकारी:</u>

14.1 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective Type) प्रकार की होगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घण्टे रहेगी।

14.2 उम्मीदवारों को ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियम एवं शर्तों सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउनलोड किये जा सकेंगे। प्रवेश पत्र पृथकतः डाक से प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

14.3 कंपनी द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवारों की उपस्थिति की Video CC TV Recording की जायेगी।

14.4 ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जबलपुर स्थित विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किये जाने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।

14.5 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका परीक्षा दिनांक से 03 से 05 दिवस के अंदर एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अंदर चुनौती दी जा सकती है।

15 <u>प्रशिक्षण:</u>

शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को लाईन परिचारक (संविदा) के कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर चरणों में नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त समझा जावेगा।

16. <u>सेवा–सह–जमानत अनुबंध:</u>

16.1 लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अथवा अधीनस्थ नियंत्रक प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू.100/– के नान–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुंबंध निष्पादित किया जावेगा। इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा

वहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अंदर कार्य पर उपस्थित होना होगा तथा उपस्थित होने की तिथि से संविदा सेवा से अनुबंधित माना जायेगा।

16.2 संविदा अनुबंध की अधिकतम कालावधि (प्रशिक्षण अवधि सहित) 03 वर्ष होगी। अनुबंध की कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा।

16.3 कंपनी को यह अधिकार होगा कि, आवश्यकता होने पर एवं संविदा कार्मिक द्वारा पिछले संपादित कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, 03 वर्ष या उससे कम ऐसी अवधि के लिये जैसी कि कंपनी उचित समझे, नया अनुबंध कर सकेगी। एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम 15 कार्य दिवस का अंतराल रखा जायेगा।

16.4 अनुबंध की दिनांक से वर्ष की गणना की जायेगी तथा वर्ष के अंत में अथवा संविदा कालावधि समाप्ति पर, नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के आचरण तथा कार्यों का मूल्यॉंकन पारदर्शी प्रकिया का निर्धारण करते हुए किया जाएगा।

17. कार्य की प्रकृतिः

लाईन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईनों के निर्माण कार्य जिसमें गड्‌डा खोदने, सामान ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य।

18. संविदा मानदेयः

लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में कंपनी में लागू संविदा सेवा (अनुबंध की सेवा शर्तें), नियम 2016 के नियमानुसार सकल संविदा मानदेय रू.12000/ प्रतिमाह की दर से देय होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें), नियम 2016 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.2 के अनुसार की जायेगी।

19. सामान्य शर्तेंः

19.1 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपकम में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

19.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाए जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय साधारण श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पत्राचार के पते के आधार पर मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा, इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

19.3 चयन नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ही मान्य होंगे। कंपनी की सेवाएं औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं।

20. शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखः

20.1 शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची मूलतः एवं एक सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः

20.1.1 शैक्षणिक योग्यता 10 वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र

20.1.2 व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र

20.1.3 मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र

20.1.4 जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों हेतु)

20.1.5 फोटो युक्त मूल पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पासपोर्ट इनमें से कोई एक) यदि पहचान पत्र उपलब्ध न हो तो शाला/आई.टी.आई. के प्राचार्य से सत्यापित आवेदक का छाया चित्र।

20.1.6 दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के कलर फोटो

20.2 आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

20.2.1 ठेके पर किये गए कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र। (कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं)

20.2.2 शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

20.2.3 भूतपूर्व सैनिक के संबंध में म.प्र. राज्य के जिलों में पदस्थ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)

20.3 उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

20.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये हैं अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

21. <u>अनुशासन एवं नियंत्रण के संबंध में सामान्य शर्तें:</u>

21.1 प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं लाईन परिचारक (संविदा) पर अनुबंधित होने पर उम्मीदवार को कंपनी में लागू "संविदा सेवा (अनुबंध एवं सेवा शर्तें), नियम 2016" की कंडिका 7 में उल्लेखित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

21.2 लाईन परिचारक (संविदा) अनुबंध अवधि में किसी अन्य स्थान पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकेगा।

21.3 लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर अनुबंधित कार्मिक नियमितीकरण/पेंशन तथा पेंशन संबंधी सुविधाओं इत्यादि के हकदार नहीं होंगे।

21.4 लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर अनुबंधित कार्मिक को प्रधानमंत्री बीमा योजना की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस हेतु कार्मिक अनुबंध निष्पादित किये जाने की दिनांक को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमित है, की बैध पालिसी की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेगा।

22. <u>अनुबंध अवधि में आचरण:</u>

22.1 लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर अनुबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण काल एवं कार्य के दौरान कंपनी द्वारा लाईन एवं कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण/गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है अथवा दी जाती है। तदाशय की गोपनीयता, अनुबंध अवधि अथवा अनुबंध समाप्ति के बाद भी भंग नहीं करेगा।

22.2 लाईन परिचारक(संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति तदाशय के संबंध में निम्न कथन पर अपनी सहमति देगा:

22.2.1 गोपनीय सूचना का उपयोग केवल अपने प्राधिकृत अधिकारी एवं अपने सहयोगी के लिए करेगा, अन्य किसी भी कार्य हेतु नहीं।

22.2.2 गोपनीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा।

22.2.3 गोपनीय अभिलेख एवं जानकारी संबंधित कार्य पूर्ण करने के पश्चात कंपनी/संस्थान को लौटायेगा अथवा प्रकरण में जैसा आवश्यक हो पृथक रखेगा।

22.3 किसी भी समय यदि सक्षम अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि अनुबंधित लाईनपरिचारक (संविदा) का कार्यकलाप कंपनी हित में नहीं है अथवा उसकी कार्यक्षमता आशा के अनुरूप नहीं है, तो कंपनी द्वारा बिना कारण बताये 01 माह की सूचना अथवा 01 माह की सूचना के स्थान पर 01 माह का पारिश्रमिक अनुबंधित व्यक्ति को भुगतान कर उसकी संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

22.4 अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह का पारिश्रमिक जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर सेवा समाप्त कर सकता है। अनुबंधित व्यक्ति द्वारा सेवा समाप्त करने की दशा में लागू अनुबंध राशि भी देय होगी।

23. <u>पदस्थापना एवं स्थानांतरणः</u>

संविदा कर्मी को किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। संविदा कर्मी को सामान्यतः उसके अनुबंध स्थान से कंपनी अंतर्गत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। तदापि, अनुबंधकर्ता प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार संविदा कार्मिक से, कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर कार्य ले सकेगी।

24. <u>अवकाश, यात्रा भत्ता, सेवा बंधन, अनुशंगी लाभः</u>

अवकाश, यात्रा भत्ता, सेवा बंधन, अनुशंगी लाभ/सुविधाएं, न्यायिक क्षेत्राधिकार एवं अन्य से संबंधित नियम कंपनी में लागू "म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, संविदा सेवा (अनुबंध एवं सेवा शर्तें), नियम 2016" में उल्लेखित नियमों के अनुसार रहेंगे। कंपनी आवश्यकतानुसार इन नियमों में परिवर्तन कर सकेगी। अन्य सेवा शर्तें यदि अनुबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती हैं, तो वे भी लागू होंगी।

25. <u>महत्वपूर्ण दिनांक</u> – चयन प्रकिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैः–

कमांक	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	20.12.2016
2	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	04.01.2017 मध्यरात्रि
3	एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की दिनांक	10.01.2017 से प्रारंभ
4	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	15.01.2017
5	प्रश्नपत्र से संबंधित आपत्तियॉ दर्ज करने की दिनांक	17.01.2017 से 21.01.2017
6	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन	10.02.2017

अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांकों में फेरबदल संभव है।

मुख्य महाप्रबंधक(मानव संसा. एवं प्रशासन)

19/12/16